हजारी — दयानन्द 27/07

दिनांक	आज्ञा पत्र	
25-6-18	वसूली फौजदारी 340 तहत का रिकार्ड तलब हो। पत्रावली दिनांक 24-9-18 को पेश हो।	
24-9-18	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट एवं अपीलांट स्वयं को बार बार आवाज दिलाई गई न्यायालय समय सायंकाल 6 बजे तक बार बार दिलाई गई। इन्तजार किया गया उसके बावजूद अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे फलस्वरूप अपील अपीलांट अथवा हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। निर्णय सुनाया गया। प्रकरण पीठ सुपुर्द किया जाकर रजिस्टर से काम लेकर पर तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

24/9/18

प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील अधिकारी सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official